न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 92/2019
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.03.2020

1. प्रभु पुत्र सियाराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामसिह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. पप्पी पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री भगवानसिंह फौजदार एण्ड0

श्री फूलसिंह एण्ड0

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए के तहत पेश किया गया।
2. यह है कि उपरोक्त उनवान का दावा न्यायालय श्रीमान में पूर्व से ही विचाराधीन है जिसमें सफलता पूर्व में दावा के साथ प्रार्थना पत्र 212 न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा गैरसायलान को जरिये स्थगन आदेश से पाबंद कर रखा था कि वह विवादित आराजी को रहनवयमुंतकिल नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। सायल व गैरसायलान के मध्य विवादित आराजी के बटवारे को लेकर आपस में राजीनामा हो गया था। जिसके कारण दोनों की सहमति से इस प्रार्थना पत्र को खारिज करा लिया था, लेकिन अब गैरसायलान राजीनामा की शर्तों की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त उनवानी दावा में सायल की ओर से गैरसायलान के विरूद्ध पेश किया गया है।
3. यह है कि विवादित आराजी खाता सं. 29 के खसरा न. 777 रकवा 0.02, 985 रकवा 0.04, 986 रकवा 0.02, 995 रकवा 0.26, 997 रकवा 0.38, 1002 रकवा 0.09, 1009 रकवा 0.10, 1010 रकवा 0.31, कुल किता 8 रकवा कुल 1.22 है. व खाता सं. 30 के खसरा न. 1019 रकवा 0.02 है., 1022 रकवा 0.17, 1159 रकवा 0.28, 1164 रकवा 0.73, 1199 रकवा 0.39, 1203 रकवा 0.53, 1224 रकवा 0.25, 1225 रकवा 0.42, 1226 रकवा 0.21, 1227 रकवा 0.11, 1228 रकवा 0.20, 1237 रकवा 0.02, 1239 रकवा 0.13, 1240 रकवा 0.01, 1241 रकवा 0.04, 1242 रकवा 0.13, 1243 रकवा 0.06, 1245 रकवा 0.26, 1246 रकवा 0.22, 1247 रकवा 0.02, 1248 रकवा 0.18, 1452 रकवा 0.20,1667 रकवा 0.68, 1769 रकवा 0.40, 1770 रकवा 0.44

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

कुल किता 28 कुल रकवा 7.97 है. व खाता सं. 31 के खसरा न. 1444 रकवा 0.32, 1445 रकवा 0.08, 1446 रकवा 0.08, किता 3 रकवा 0.48 व खाता सं. 32 के खसरा न. 1268 रकवा 0.10, 1269 रकवा 0.27, 1270 रकवा 0.16, 1282 रकवा 0.08 किता 04 रकवा 0.61 व खाता सं. के खसरा न. 1790 रकवा 0.32 खाता 194 खसरा न. 1021 रकवा 0.19 है. वाके मौजा गांगरौली तहसील नदबई पर स्थित है। जो सायल व गैरसायलान सं. 1 व 2 व प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 35 की सम्मिलित खातेदारी का रकवा है जिस पर सायल व गैरयसायलान मनवट के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन गैरसायलान के मन में वद्यांति आ गयी है और वह आये दिन डोर, मेढ आदि को लेकर सायल से झगडा फसाद करते हैं सायल के उसके हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त नही करने देते हैं। ऐसी स्थिति में सायल विवादित आराजीयात का अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का मुताबिक हिस्सा कुरेजात कराकर वाईमीट्स एण्ड वाउण्ड बटावारा करा पाने का अधिकारी है। तथा अपने कुरे की खातेदारी अपने नाम न्यारानूर दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

4. यह है कि गैरसायलान ने सायल को दिनांक 26.07.19 को खुलेआम धमकी दी है कि हम तुम्हें मनवट के आधार पर विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे व आराजी मुतनाजा के उपजाउ हिस्से को विक्रय कर देंगे, तथा उसके हिस्से से बेदखल करके रहेंगे अगर उक्त धमकी में गैरसायलान कामयाब हो गये तो सायल को अजीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। इसलिये सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह आराजी को रहनवयमुंतकिल नहीं करने राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।
5. **अन्त में सायल ने प्रार्थना की कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई** निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह आराजी को रहनवयमुंतकिल नहीं करने राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री फूलसिंह एण्ड0 उपथित हुऐ। अप्रार्थी स. 3 व 4 तामील बाबजूद न्यायालय में अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स. 1 व 2 की ओर जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे हीं बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए की गयी।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2075–78 वाके ग्राम गांगरौली पेश की गयी।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। हमने प्रार्थीगण के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबदी संबत 2075–78 वाके ग्राम गांगरौली पेश की गयी। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। उक्त विवादित आराजीयात का अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है, तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने मनवट अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उभय पक्षकारान

Scanned with CamScanner

का कानूनी रूप से बटवारा नहीं हो जाये तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपना हक निहित रहता है। प्रथमदृष्टया प्राईमाफेसी केस प्रार्थीगण के हक में है।

4. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।
5. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द नहीं किया जाता है तो विवादित आराजीयात का खुर्द–बुर्द होने का अंदेशा रहेगा तो अजीम क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि खाता सं. 29 के खसरा न. 777 रकवा 0.02, 985 रकवा 0.04, 986 रकवा 0.02, 995 रकवा 0.26, 997 रकवा 0.38, 1002 रकवा 0.09, 1009 रकवा 0.10, 1010 रकवा 0.31, कुल किता 8 रकवा कुल 1.22 है. व खाता सं. 30 के खसरा न. 1019 रकवा 0.02 है., 1022 रकवा 0.17, 1159 रकवा 0.28, 1164 रकवा 0.73, 1199 रकवा 0.39, 1203 रकवा 0.53, 1224 रकवा 0.25, 1225 रकवा 0.42, 1226 रकवा 0.21, 1227 रकवा 0.11, 1228 रकवा 0.20, 1237 रकवा 0.02, 1239 रकवा 0.13, 1240 रकवा 0.01, 1241 रकवा 0.04, 1242 रकवा 0.13, 1243 रकवा 0.06, 1245 रकवा 0.26, 1246 रकवा 0.22, 1247 रकवा 0.02, 1248 रकवा 0.18, 1452 रकवा 0.20,1667 रकवा 0.68, 1769 रकवा 0.40, 1770 रकवा 0.44 कुल किता 28 कुल रकवा 7.97 है. व खाता सं. 31 के खसरा न. 1444 रकवा 0.32, 1445 रकवा 0.08, 1446 रकवा 0.08, किता 3 रकवा 0.48 व खाता सं. 32 के खसरा न. 1268 रकवा 0.10, 1269 रकवा 0.27, 1270 रकवा 0.16, 1282 रकवा 0.08 किता 04 रकवा 0.61 व खाता सं. के खसरा न. 1790 रकवा 0.32 खाता 194 खसरा न. 1021 रकवा 0.19 है. वाके मौजा गांगरौली तहसील नदबई पर उभयपक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात की मौके की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner